



सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अब एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी में कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और राष्ट्रीय महत्व के तीन संस्थानों (आईएनआई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

सीजीएचएस लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान और सीजीएचएस से अदायगी की परेशानी उठाए बिना, इन चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी

सरकार का लक्ष्य मरीजों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप उत्कृष्ट तृतीयक देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या का विस्तार करना है: श्री राजेश भूषण, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव

प्रविष्टि तिथि: 27 JUN 2023 6:52PM by PIB Delhi

एक महत्वपूर्ण और जन-केंद्रित कदम के माध्यम से, अब एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी में सीजीएचएस लाभार्थियों (सेवारत और पेंशनभोगी दोनों) के लिए कैशलेस उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस आशय के समझौता ज्ञापन पर तीन चिकित्सा संस्थानों- एम्स, नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, और जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी और सीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण की उपस्थिति में आज यहां हस्ताक्षर किए गए।

यह पहल सीजीएचएस और भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश स्थित विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) के बीच 20 मई 2023 को पहले हस्ताक्षरित छह एमओए पर आधारित है।

(<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1925806>).





स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सचिव श्री राजेश भूषण ने एमओए पर हस्ताक्षर करते समय कहा, "सीजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस आधार पर एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुदुचेरी में रोगी देखभाल सुविधाओं के विस्तार से सीजीएचएस के पेंशनभोगी लाभार्थियों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। इससे उन्हें व्यक्तिगत भुगतान दावों को प्रस्तुत करने और मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नई पहल के साथ, सीजीएचएस लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान करने और सीजीएचएस से अदायगी वापस मांगने की परेशानी के बिना, इन चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया से समय की बचत होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यक्तिगत दावों के निपटान में तेजी आएगी। पहले, इन संस्थानों में इलाज का लाभ उठाने वाले सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों को पहले भुगतान करना पड़ता था और बाद में सीजीएचएस से अदायगी का दावा करना पड़ता था।"

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस विकास की सराहना करते हुए कहा कि सीजीएचएस स्वास्थ्य मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण सेवा-उन्मुख कार्यक्षेत्र है जिसके माध्यम से मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, "सरकार का लक्ष्य मरीजों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप उत्कृष्ट तृतीयक देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या का विस्तार करना है।"

श्री भूषण ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस समझौते से लंबी औपचारिकताओं को सरल बनाने और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में तेजी लाने से आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता पूरे देश में सीजीएचएस सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में मदद करेगा, जिससे लाभार्थियों को अपने संबंधित राज्यों में आईएनआई संस्थानों में सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सीजीएचएस ने उपचार और चिकित्सा देखभाल की कुछ दरों को संशोधित किया है, जिससे रोगियों के लिए उपचार सुविधाओं तक पहुंच आसान हो गई है।

इस पहल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. सीजीएचएस पेंशनभोगियों और लाभार्थियों की अन्य पात्र श्रेणियों के लिए बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी), जांचों और इनडोर उपचार के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा।
2. तीनों संस्थान सीजीएचएस पेंशनभोगियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए क्रेडिट बिल जारी करेंगे और सीजीएचएस अधिमानतः बिल प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर भुगतान करेगा।
3. सीजीएचएस लाभार्थियों को इन संस्थानों में इलाज के लिए वैध सीजीएचएस लाभार्थी आईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर ही भर्ती किया जाएगा।

4. एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी में सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अलग हेल्प डेस्क और लेखा प्रणालियां बनाई जाएंगी।
5. इन संस्थानों में डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाएं, चाहे ओपीडी उपचार के लिए या छुट्टी के समय, सीजीएचएस के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा एकत्र की जाएंगी।
6. सीजीएचएस लाभार्थियों को अब इन संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी।



एमओए पर हस्ताक्षर समारोह में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी श्री सुधांशु पंत, मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती वी. हेकाली झिमोनी, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विपिन कौशल और जेआईपीएमईआर पुडुचेरी के निदेशक डॉ. राकेश अग्रवाल भी उपस्थित थे।

एमजी/एमएस/आरपी/केपी/डीवी

(रिलीज़ आईडी: 1935745) आगंतुक पटल : 596

इस विज्ञापित को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi , Odia , Tamil , Telugu



•• <https://www.staffnews.in> ••



Important changes w.r.t Liberalised Remittance Scheme (LRS) and Tax Collected at Source (TCS)

No change in rate of TCS for all purposes under LRS and for overseas travel tour packages, regardless of mode of payment, for amounts up to Rs. 7 lakh per individual per annum

Government gives more time for implementation of revised TCS rates and for inclusion of credit card payments in LRS

Increased TCS rates to apply from 1st October, 2023

Posted On: 28 JUN 2023 9:09PM by PIB Delhi

In the Budget this year, certain changes were announced to the system of Tax Collection at Source (TCS) on payments under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) and on overseas tour program packages. These were to take effect from 1st July 2023. It was also announced in March that credit card payments would be brought under the LRS. Numerous comments and suggestions were received which have been carefully considered.

In response to the comments and suggestions it has been decided to make suitable changes. Firstly, it has been decided that **there will be no change in the rate of TCS for all purposes under LRS and for overseas travel tour packages, regardless of mode of payment, for amounts up to Rs. 7 lakh per individual per annum**. It has also been decided to give more time for the implementation of the revised TCS rates and for inclusion of credit card payments in LRS. The changes are detailed below.

Sub-section (1G) of section 206C of the Income-tax Act, 1961 (“the Act”) provides for Tax Collection at Source (TCS) on (i) foreign remittance through the Liberalised Remittance Scheme (LRS) and (ii) sale of overseas tour program package.

Through the Finance Act 2023, amendments were carried out in sub-section (1G) of section 206C of the Act. These amendments, *inter alia*, increased the rate of TCS from 5% to 20% for remittance under LRS as well as for purchase of overseas tour program package and removed the threshold of Rs 7 lakh for triggering TCS on LRS. These two changes were not applicable when the remittance is for education or medical purpose. These amendments were to take effect from 1st July 2023.

The Government had notified Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules, 2023 vide an e-gazette notification dated 16th May 2023 to remove the differential treatment for credit

cards vis à vis other modes of drawal of foreign exchange under LRS.

After discussions with various stakeholders, and taking into account comments and suggestions received, the following decisions have been taken:

i) To give adequate time to Banks and Card networks to put in place requisite IT based solutions, the Government has decided to postpone the implementation of its 16th May 2023 e-gazette notification. This would mean that transactions through International Credit Cards while being overseas would not be counted as LRS and hence would not be subject to TCS. The Press Release dated 19th May 2023 stands superseded.

ii) Threshold of Rs. 7 Lakh per financial year per individual in clause (i) of sub-section (1G) of section 206C shall be restored for TCS on all categories of LRS payments, through all modes of payment, regardless of the purpose: Thus, for first Rs 7 Lakh remittance under LRS there shall be no TCS. Beyond this Rs 7 Lakh threshold, TCS shall be

- a) 0.5% (if remittance for education is financed by education loan);
- b) 5% (in case of remittance for education/medical treatment);
- c) 20% for others.

For purchase of overseas tour program package under Clause (ii) of Sub-section (1G), the TCS shall continue to apply at the rate of 5% for the first Rs 7 lakhs per individual per annum; the 20% rate will only apply for expenditure above this limit.

iii) Increased TCS rates to apply from 1st October, 2023: The increase in TCS rates; which were to come into effect from 1st July, 2023 shall now **come into effect from 1st October, 2023** with the modification as in (ii) above. Till 30th September, 2023, earlier rates (prior to amendment by the Finance Act 2023) shall continue to apply.

Earlier and new TCS rates are summarised as under:

| Nature of payment (1) | Earlier rate before Finance Act, 2023 (2) | New rate wef 1 st October 2023 (3) |
|--|--|--|
| LRS for education financed by loan | Nil upto Rs 7 lakh 0.5% above Rs 7 Lakh | Nil upto Rs 7 lakh 0.5% above Rs 7 Lakh |
| LRS for Medical treatment/ education (other than financed by loan) | Nil upto Rs 7 lakh 5% above Rs 7 Lakh | Nil upto Rs 7 lakh 5% above Rs 7 Lakh |
| LRS for other purposes | Nil upto Rs 7 lakh 5% above Rs 7 Lakh | Nil upto Rs 7 lakh 20% above Rs 7 Lakh |
| Purchase of Overseas tour program package | 5% (without threshold) | 5% till Rs 7 Lakh, 20% thereafter |

Note: (i) TCS rate in column two shall continue to apply till 30th September, 2023.

(ii) There shall be no TCS on expenditures under LRS under clause (i) of Sub-section (1G) for the first Rs. 7 lakh, irrespective of purpose.

The necessary changes to the Rules (Foreign Exchange Management (Current Account Transactions Rules), 2000) are being issued separately.

Legislative amendment in this regard shall be proposed in due course. Circular and Frequently Asked Questions (FAQs) shall be issued to clarify various practical issues in implementing this provision.

PPG/KMN

(Release ID: 1936105)